

विचार बिन्दु

जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। –कहावत

मिनिमम गवर्नेंस, नो गवर्नमेंट

प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2०14 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो यह घोषणा की थी कि वे “मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट” का सिद्धांत लागू करेंगे और इस दिशा में कार्य करेंगे। प्रारंभ के कुछ निम्नियों से ऐसा लगा कि सरकार उसी ओर चल रही है, किंतु जैसे–जैसे समय निकलता गया, यह नारा केवल नारा ही बनकर रह गया। वास्तव में सरकार की कार्यप्रणाली किसी और ही दिशा में चलने लगी। निजीकरण को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिसमें कोई बुराई भी नहीं थी, किंतु इसके बेलगाम होने का क्या परिणाम हो सकता है, यह हाल ही के दिनों में कई स्थानों पर देखने में आया है।

गत सप्ताह में इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों को दुर्दशा एवं लाचारी के जो दृश्य, विभिन्न मीडिया माध्यमों पर दिखाए गए, चाहे वे टीवी चैनल हों, सोशल मीडिया हों अथवा प्रिंट मीडिया, बड़े हृदय विदारक थे। कई ऐसे बुजुर्ग थे जो घंटों, बिना दवा के एयरपोर्ट पर बैठे रहे, कई डॉक्टर सर्जरी करने नहीं पहुँच पाए, जिन मरीजों की किसी दूसरे शहर में सर्जरी होनी थी, वह नहीं हो पाई। कुछ मामलों में तो नव दंपति अपने खुद के रिसेप्शन में भी सम्मिलित नहीं हो पाए और उन्हें केवल वीडियो के माध्यम से सम्मिलित होना पड़ा। बिलखते बच्चे और रोती हुई आक्रोशित महिलाओं के दृश्य प्रतिदिन आ रहे हैं। फ्लाइट 2० घंटों के विलंब से जा रही थी। हजारों फ्लाइट्स कैसिल हो गईं। हजारों लोग परीक्षा और इंटरव्यू देने से वंचित रह गए। बहुत से लोगों को विदेशी की कर्मकिर्ता फ्लाइट छूट गई। इंडिगो के कर्मचारियों के पास केवल एक ही रटा रटया उत्तर था कि तकनीकी कारणों से विलंब हो रहा है, फ्लाइट रीशेड्यूल कर रहे हैं अथवा कैसिल हो रही है। भारत में नागरिक की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, यह इसी से पता लगता है कि कोई स्पष्ट उत्तर देने वाला नहीं था कि उनकी फ्लाइट गंतव्य के लिए कब और कितने बजे खाना होगी? जिन लोगों को अत्यावश्यक रूप से कहीं जाना था इसके लिए उन्हें वैकल्पिक फ्लाइट के टिकट, अन्य एयरलाइंस से मनमानी कोमत पर खरीदने पड़े। ऐसा देखा गया कि जिन दो शहरों के बीच में सामान्य टिकट की दर 7– 8000 रुपए थी, वहां के लिए 30000 से 1०0000 रुपए तक लोगों को मजबूरी में देने पड़े।

इंडिगो ने केवल यह कहकर अपने कर्तव्य को इतिश्री कर ली और यात्रियों पर ‘उपकार’ कर दिया कि वह यात्रियों को फ्लाइट रह होने पर पूरा किराया रिफंड करेगी। यह नहीं सोचा कि रिफंड तो 7०00 रुपए का होगा लेकिन नया टिकट 7००00 रुपए का होगा। यही स्थिति कुंभ मेले के समय भी हुई थी जब 5०00 के स्थान पर लोगों को 50000 रुपए तक देने पड़े थे।

यह सब होते हुए भी सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। उसने न तो एयर लाइन पर कोई ज़ुर्माना लगाया न यात्रियों को कोई मुआवजा देने के लिए इंडिगो को बाध्य किया। यह उल्लेखनीय है कि भारत के विमानन उद्योग में इंडिगो का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत है, अर्थात इसका एकाधिकार है। स्पष्ट है इंडिगो कंपनी निश्चित है कि डी जी सी ए या उड्डयन मंत्रालय उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। यह अति आत्मविश्वास शायद इसलिए कि सितंबर, 2025 से प्रधानमंत्री के अत्यन्त करीबी नीति आयोग के पूर्व सी ई ओ, इंडिगो के निदेशक बन गए हैं। कहा भी गया है, “सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का?” एयरलाइंस पर कोई कार्रवाई न करने को जनता के हितों की अनेखी करना ही कहा जाएगा। इंडिगो ने न तो यात्रियों के लिए कोर्ट की व्यवस्था की न खाने की। स्थिति तो यह है कि विगड्ड गई कि एक बुजुर्ग द्वारा जब अपनी लेटी के लिए एयरलाइंस स्टाफ से सैनिटरी नेपकिन की मांग की गई तो वह तक उपलब्ध नहीं कराया गया। लोग 5 घंटे से लेकर 2० घंटे तक अर्निश्चिता की हालत में विभिन्न एयरपोर्ट पर बैठे रहे। एयरपोर्ट पर भीड़ की स्थिति किसी शहर के वस अट्टु से भी खराब हो गई थी।

आज प्रत्येक नागरिक यह प्रश्न पृष्ठ रहा है कि क्या सरकार का ‘मैक्सिमम गवर्नेंस’ का यही तात्पर्य है कि यात्रियों को निजी कंपनियों की दया पर छोड़ दिया जाए? उल्लेखनीय है कि इंडिगो का मुनुफा केवल वित्तीय वर्ष 2०24 में ही आठ हजार करोड रुपए से अधिक था। क्या सरकार इस कंपनी को अडेस नहीं दे सकती है कि वह पीडित यात्रियों को कम से कम एक लाख रुपए का मुआवजा दे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसके पास विभिन्न एयरलाइन एवं हवाई यात्राओं को नियमित करने की जिम्मेदारी है, उसने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब तक इस एयरलाइंस पर ज़ुर्माना लगाने की भी कोई जानकारी नहीं है।

मीडिया में प्राप्त जानकारी से पता लग रहा है कि विभिन्न सुरक्षा संबंधी मानकों को ध्यान में रखते हुए और पायलटों के उडान के घंटे निर्धारित करने के कारण इंडिगो के लिए फ्लाइट संचालन करना असंभव था। फिर भी इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स की संख्या 14०00 से बढ़ाकर 15०00 करने की अनुमति दी है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि इंडिगो के पास पायलटों की संख्या अत्यंत कम हो गई। बदली परिस्थितियों में, इंडिगो ने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पायलटों की समय पर भर्ती नहीं की। इसका असर फ्लाइट के संचालन पर पडना हो था। यह आश्चर्य की बात है कि अब सरकार ने पायलटों के उडान के घंटे नियमित करने वाला अपना आदेश इंडिगो कंपनी के लिए 1० फरवरी तक स्थागित कर दिया है। ऐसा करके क्या सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख दिया है? प्रधानमंत्री जी ने नारा तो “मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट” का दिया था लेकिन निजी कंपनियों को जिस प्रकार से मनमानी करने की खुली छूट दे दी गई है, उसे तो ‘मैक्सिमम गवर्नेंस’ के

साधारण जनता मिलावटी दूध पीने, मिलावटी सब्जियां, फल एवं खाद्य पदार्थ खाने और जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है । वास्तव में सरकार होती तो मिलावट करने वालों को अब तक सजा मिल चुकी होती। न किसी को जेल हुई न किसी को गिरफ्तार किया गया। मेरे जैसे साधारण नागरिक की तो केवल एक ही अपेक्षा है कि सरकार प्रभावी रूप से नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करे और नियंत्रण व्यवस्था में ऐसे लोगों को लगाए जो ईमानदारी से अपना काम करें, ताकि निजी संस्थाएं भी बनी रहें और किसी का शोषण भी व्यवस्था में ना हो। हूँ तभी गोवा के नाइट क्लब में भयंकर आग लगने की खबर आई है। इसमें 25 लोग दम घुटने से मर गए क्योंकि आने और जाने का एक ही दरवाजा था। स्पष्ट है, न सरकार को न शासन। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है उसके अधिकारियों का काम केवल व्यापारियों और आम जनता से अनधिकृत रूप से वसूली करना रह गया है । जनता का हित सरकार के लिए सबसे अंतिम प्राथमिकता बनकर रह गया है। जिस प्रकार से अस्पतालों में मुख्यमंत्री आरक्षण योजना लागू होने के बाद भी गरीब लोग अस्पताल में धक्के खा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है । लोकतांत्रिक कल्याणकारी सरकार का पहला दायित्व यही होता है कि वह जनता के हित को सर्वोपरि रखे, लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम हम आजकल देख रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि सरकार के लिए बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का हित संरक्षण ही एकमात्र काम रह गया है। साधारण जनता को निजी कंपनियों के हवाले छोड़ दिया गया है । मेडिकल की पढाई करने वाले एक–एक छात्र से साल का एक करोड रुपया लिया जा रहा है। ऐसा करके क्या कभी कोई साधारण परिवार का व्यक्ति वर्तमान शासन व्यवस्था में एमबीबीएस या एम डी करने की सोच भी सकता है?

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों अथवा अन्य सेवाओं के कर्मचारियों/ अधिकारियों को सुशासन पर प्रशिक्षण दिए जाने के बावजूद यदि हम गुड गवर्नेंस के बजाय ‘नो गवर्नेंस’ की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो यह चिंता की बात है। इस प्रकार की स्थिति में, जिनके पास अकूत धनराशि है या जो प्रभावशाली हैं, वे तो किसी भी प्रकार से अपना काम निश्चित लेंगे लेकिन साधारण नागरिक के पास तो प्रताड़ित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उदाहरण के लिए, हाल ही में किए जा रहे एस आई आर में लगभग सभी सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढाई, जो वैसे ही खस्ता हाल है, अब बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। सरकार के संरक्षण की आवश्यकता ही साधारण परिवार को सर्वाधिक होती है और दुर्भाग्य से वही शोषण का शिकार हो रहा है। सरकार अपने मूल दायित्व को तिलांजलि देकर केवल पूंजीपतियों के हित संरक्षण का जिम्ता र्हेगी तो वही स्थिति होगी जो अभी इंडिगो के प्रकरण में हुई है।

आज नागरिक प्रश्न पृष्ठ रहा है कि सरकार जो उससे विभिन्न नामों से टैक्स वसूल करती है उससे उसे लाभ क्या हो रहा है ? सरकार न तो उसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है न ही उसे निजी क्षेत्र के हाथों शोषित होने से बचा पा रही है। उसके बच्चे यदि पढाई नहीं कर सके, रहने के लिए अपना छोटा सा घर नहीं बना सके, अपने लिए कोई रोजगार नहीं ढूँढ सके, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लोक होते चले जाएं तो उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य का नागरिक कह पाएंगे ? सरकार को चाहिए था कि तेजी से निजीकरण करते समय एक प्रभावी नियामक व्यवस्था स्थापित करती। पैसे की ताकत के आगे सरकार के मंत्री और अधिकारी या तो लाचार हैं या अपने स्वार्थ के कारण उनके समक्ष नतमस्तक हो गए हैं। यह भी पता चला है कि इंडिगो कंपनी के मालिक राहुल भाटिया ने सत्ताधारी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 2० करोड रुपए दिए थे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर अब तक नागरिक उड्डयन मंत्री और महानिदेशक डी जी सी ए को क्यों नहीं हटया गया है ?

साधारण जनता मिलावटी दूध पीने, मिलावटी सब्जियां, फल एवं खाद्य पदार्थ खाने और जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है । वास्तव में सरकार होती तो मिलावट करने वालों को अब तक सजा मिल चुकी होती। न किसी को जेल हुई न किसी को गिरफ्तार किया गया।

मेरे जैसे साधारण नागरिक को तो केवल एक ही अपेक्षा है कि सरकार प्रभावी रूप से नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करे और नियंत्रण व्यवस्था में ऐसे लोगों को लगाए जो ईमानदारी से अपना काम करें, ताकि निजी संस्थाएं भी बनी रहें और किसी का शोषण भी व्यवस्था में ना हो।

इंडिगो की हाल की घटनाक्रम से तो यह लगता है कि सरकार पूरे प्रकरण में अनुपस्थित ही रही है । अनुपस्थित सरकार जनता का भला नहीं कर सकती । जनता चाहती है कि सरकार उसके हित में काम करे। हम तो केवल आशा ही रख सकते हैं कि सरकार अब भी जागे और सुशासन नहीं तो कम से कम शासन तो उपलब्ध कराए । दुर्भाग्य से न्यायपालिका भी सरकार की निष्क्रियता का संज्ञान नहीं ले रही है और न सरकार को बाध्य कर रही है कि वह एक प्रभावी कार्यपालिका की भूमिका संविधान के अंतर्गत निभाए।

फिलहाल तो ऐसा लगता कि प्रधानमंत्री का “मैक्सिमम गवर्नेंस” का दावा ‘नो गवर्नेंस’ में परिवर्तित हो गया है।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



डॉ. लोकेश चंद्र शर्मा

राजस्थान विधानसभा म राष्ट्रीय गात वंदे मातरम् को समर्पित विशिष्ट, शोधपरक और आधुनिक स्वरूप वाली दीर्घा में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता के सांस्कृतिक प्रतीकों और राष्ट्रभक्ति की सामूहिक चैतना के ऐतिहासिक तथ्यों को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा से संवाद करती इस पहल से देश की विधान सभाओं में राजस्थान विधान सभा इस ऐतिहासिक उपलब्धि से विशिष्ट बन गई है। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की इस गौरवमयी सोच के साकार होने से विधान सभा का पवित्र परिस्र शौर्य के भाव से आलोकित हो गया है। श्री देवनानी ने विधान सभा में भारतीय संविधान के 22 भागों के प्रारम्भ में प्रकाशित चित्रों की पृष्ठभूमि को समझाने के लिए संविधान दीर्घा और कारगिल वीरगणनाओं को समर्पित शौर्य वाटिका का भी निर्माण कराया है।

राजस्थान विधान सभा देश की पहली विधान सभा जहां वंदे मातरम् दीर्घा- देश की विधानसभाओं में राजस्थान

राज्य सरकार के विघटनकारी बड़े से कृषि विश्वविद्यालयों के एक्ट और स्टैचूट्स गैरजरूरी व अर्थहीन



प्रो. वीर बहादुर सिंह

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पांच कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये संस्थान, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और जोबनेर स्थानों पर संचालित हैं। ये सभी विश्वविद्यालय विधान सभा में उपयुक्त विधान पेश कर और गजट में नोटिफिकेशन उपरांत स्थापित किये गए हैं। सभी के विधान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के मॉडल एक्ट अनुरूप बनाये गए हैं। एक प्रकार से ये एक्ट और स्टूटूट्स सम्बंधित विश्वविद्यालय के लिए संविधान का उद्देश्य पूरा करते हैं जिनके प्राविशंस के अनुसार विश्वविद्यालय अपने सभी क्रिया कलापों को अंजाम देते हैं।

इसके ही प्रावधानों के अंतर्गत कुछ बड़ी समितियाँ गठित होती हैं जिनमें प्रबंध मंडल सर्वोच्च औरअकादमिक काँसिल प्रमुख हैं। फिर विधान के ही अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडीज अथवा फैकल्टी होती है। एक फैकल्टी एक संकाय के सभी अकादमिक और नॉन अकादमिक कार्य देखती है। वर्तमान स्थिति में कृषि संकाय, कृषि अभियांत्रिकी संकाय, होम साइंस संकाय, डेरी व फूड टेक्नोलॉजी संकाय और फिशरीज लिमनोलोजी संकाय और बागवानी व फारेस्ट्री संकाय इन संस्थानों में गठित किये हुए हैं। प्रत्येक मुख्य संकाय का एक महाविद्यालय है जैसे कृषि महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, होम साइंस महाविद्यालय, डेरी व् खाद्य प्रायोगिकी महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय आदि जहाँ शिक्षा और अभिस्नातक स्तरों को शिक्षा देने का प्रावधान है सभी महाविध्यालयों में अनेक विषय अनुसार विभाग होते हैं।जिनमें प्रत्येक

विधानसभा अब उन विरल संस्थानों में शामिल हो गई है जहाँ वंदे मातरम् पर आधारित एक पूर्ण शोधपरक गैलरी का निर्माण हुआ है। राष्ट्र गीत के एक सौ पचास वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार इस दीर्घा में 37 पैनोंल के माध्यम से वंदे मातरम् की रचना, इतिहास, संदर्भ और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका को क्रमबद्ध रूप से सजाया गया है। वंदे मातरम्, मातृभूमि के प्रति समर्पण, औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध प्रतिरोध और स्वाधीनता की सामूहिक चेतना का स्वरूप है। स्वदेशी आंदोलन के दौर में यह गीत जनसभाओं और आंदोलनों का प्रेरक केंद्र बनकर राष्ट्रीय भावता को संगठित करता रहा और उसी चिरंतन स्वरूप को यह दीर्घा आधुनिक माध्यमों में पुनर्जीवित कर रही है।

नए विमर्श और आधुनिकता के साथ आमजन को समर्पित- राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में यह नई दीर्घा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को नए विमर्श और आधुनिक प्रस्तुति के साथ आमजन तक पहुँचाती है। वंदे मातरम् के भावपूर्ण संगीत, दुर्लभ दस्तावेजों, वीडियो सामग्री और उस युग के सांस्कृतिक-राजनैतिक परिवेश का सजीव प्रदर्शन आगतुकों को उस समय की अनुभूति से जोड़ता है। मातृभूमि के प्रति प्रेम, कर्तव्य और संविधान के प्रति निष्ठा को इस दीर्घा का मूल केंद्र माना गया है, जो इसे मात्र प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्थायी स्रोत बनाता है।

जीवंत ज्ञान केन्द्र- 1875 में अक्षय नवमी के दिन बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा मुर्शिदाबाद के लालगोला में रचे गए मूल गीत की

पांडुलिपि, संस्कृतनिष्ठ बंगाली पाठ, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े दुर्लभ फोटोग्राफ, क्रांतिकारियों के संस्मरण, पत्र, भाषण और तत्कालीन सांस्कृतिक वातावरण की झलक इस दीर्घा को विशेष बनाती है। युवा वर्ग, शोधार्थियों और इतिहास में रुचि रखने वाले नागरिकों के लिए यह दीर्घा एक जीवंत ज्ञान केन्द्र के रूप में उभर रही है। राष्ट्रीय चेतना को आलोकित करने वाली राजस्थान विधान सभा ने नई पीढ़ी के लिए कर्तव्यों और अधिकारों के संतुलन के साथ राष्ट्र-प्रथम की भावना को सर्वोपरि बनाये रखने का वातावरण निर्मित किया है।

स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी की इस पूरी पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राजस्थान विधानसभा ने इतिहास को स्थिर रूप में नहीं, बल्कि जीवंत एवं संवादमय रूप में प्रस्तुत किया है। संग्रहालय का यह विस्तार ऐसी सीध को दर्शाता है जिसमें राजनीति केवल नीतियों और बहसों तक सीमित न रहकर संस्कृति, इतिहास और नागरिक चेतना को भी समान महत्व देता है।

इतिहास को महसूस कराने वाली दीर्घा वंदे मातरम् दीर्घा- वंदे मातरम इतिहास, संस्कृति और संवैधानिक आदर्शों का पेंसा विशिष्ट संगम बनकर उभर रही है, जो भारतीय लोकतंत्र की गहराई और राष्ट्रीय चेतना की व्यापकता को नई पीढ़ियों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध होगा। राजस्थान विधानसभा में वंदे मातरम् दीर्घा केवल अतीत का अभिलेख नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय पहचान को जोड़ने वाला समकालीन कार्य है। डिजिटल इंटरैक्टिव पैनोंल और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संयोजन ने इसे पारंपरिक



संग्रहालयों की सीमाओं से आगे पहुँचा दिया है। इसे देखने वाले स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं संघर्षों और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा को अनुभव करते हैं। यह पहल आने वाले वर्षों में न केवल शोधार्थियों के लिए बल्कि उन युवाओं के लिए भी अत्यंत मूल्यवान साबित होगी जो इतिहास को केवल पढ़ना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं।

करोड़ों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिम्ब- वंदे मातरम् दीर्घा राष्ट्रीय के इतिहास को समेटे हुए है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना को जन भाषा में प्रस्तुत करती है। दीर्घा के प्रत्येक पैनल में स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य, आंदोलनकारी ऊर्जा के अंश और राष्ट्रनिर्माण में काला-साहित्य की भूमिका के अध्याय सजीव हो उठे हैं। यह दीर्घा उन करोड़ों भारतीयों की सामूहिक

स्मृति का प्रतिबिंब है जिन्होंने अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध करते हुए वंदे मातरम् को अपनी आवाज का आधार बनाया था। आधुनिक भारत की युवा पीढ़ी जब इस दीर्घा में प्रवेश करती है, तो वह केवल इतिहास नहीं देखती वह अपने भीतर राष्ट्रभावना की एक नई समझ का जन्म अनुभव करती है।

लोक संस्कृति पथ - राजस्थान विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय के प्रवेश पथ को कला, संस्कृति, लोकनृत्य, पारंपरिक प्रतीक और ऐतिहासिक घरोहरों के भिंति चित्रों से उकेरा गया है। यह लोकक संस्कृति से परिचय कराने वाला पथ बन गया है।

–डॉ. लोकेश चंद्र शर्मा, उप निदेशक जनसंपर्क, राजस्थान विधानसभा, जयपुर

राज्य सरकार के विघटनकारी बड़े से कृषि विश्वविद्यालयों के एक्ट और स्टैचूट्स गैरजरूरी व अर्थहीन

लेकिन अधिस्नातक और पीएचडी विषय पढ़ाने के लिए अध्यापक अथवा फैकल्टी का पोस्टेय्रजुएट कौंसिल से अनुमोदन आवश्यक होता है बिना अनुमोदित प्राप्त व्यक्ति अधिस्नातक और पीएचडी के विषय पढ़ाने के लिए अयोग्य माना जाता है। इस लेख को पढ़ने के बाद छात्र भी आंकलन कर सकते हैं कि वे कैसा विषय पढ रहे हैं और उसे पढ़ाने वाला किस स्तर का है ? माँ बाप का पैसा उचित जगह ही खर्च हो तभी छात्र को उस शिक्षा का लाभ हो सकता है। पीएचडी पढाने और थीसिस (रिसर्च) गाइड के लिए सुपरवायजर अथवा अध्यापक को उच्च कोटि का विषय ज्ञान और रिसर्च का वांछित स्तर का अनुभव रखना जरूरी है। यदि गाइड में वांछित अनुभव की कमी है तो वह संतोष स्तर की थीसिस छात्र को नहीं करा सकता। ऐसे में चालाकी से कुछ छात्र लाइब्रेरी से मिलती जुलती सूच की किसी थीसिस से कुछ भागों की नकल कर लेते हैं जो एक प्रकार से नकल करने के समान है।

कृषि महा विद्यालओं और विश्व विद्यालओं में सतत अनुसन्धान स्वरूप द्रुत गति से बढ़ती विषय सामग्री को पढाई में निरंतर समावेश भी कृषि शिक्षा में जरूरी है अन्यथा हाल ही में उपजी जानकारी से छात्र वींचित रह जायेंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी के एक्ट और स्टूट्स में विषय वाा समिति ऑफ़ कोर्सेस भी गठित होती है जिसमें विभाग के सभी स्तियार अध्यापक और विश्वविद्यालय से बाहर के एक या दो आमंत्रित विशेषज्ञ नामित किये जाते हैं। इनकी उपस्थिति से किसी अन्य विशेषज्ञ के ज्ञान का लाभ तो मिलता ही है विषय अपडेट करने में, अन्य संस्थानों में स्थिति और स्तरों की सूचना भी मिल जाती है।

उपरोक्त सभी समितियों की निर्धारित अंतराल पर बैठक आहूत की जाती है। विश्व विद्यालय में यदि विषय के अंतर्गत वांछित फैकल्टी नहीं हो तो उपरोक्त समितियों का गठन संभव नहीं। सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारिओं ने अपनी सोची समझी रणनीति के अनुसार रिक्त पदों पर चयन करने की परमिशन को संदेव टाला है। फलस्वरूप विभाग तो खाली है ही, महाविद्यालयों

के स्तर पर भी साठ प्रतिशत और कहीं उससे भी अधिक पद या तो समाप्त किये जा चुके हैं या लम्बे समय से रिक्त हो चल रहे हैं।

आश्चर्य होता है कि विषय की पढाई पूरी करने हेतु बाजार से (अचर्यात) अपात्र को आमंत्रित कर पढाई का उद्देश्य पूरा कर लिया जाता है। प्रवेश लेने वाले छात्रों को इन सब मदारीनुमा व्यवस्थाओं की पडताल और उनके भविष्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव का आंकलन नहीं होपाता। ऐसे घणयंत्र धोखापट्टी के कारण छात्रों के लिए विश्वेश्कारी होते हैं। कृषि अनुसन्धान परिषद नई दिल्ली ने समान स्टैण्डर्ड कायम रखने की दृष्टि से सभी विषयों के नोट्स नेट पर उपलब्ध करा दिए हैं ताकि शिक्षक उससे मदद ले सकें और छात्र भी विस्तृत नोट्स लिखने से निजात पा सकें। कौंसिल की इस पहल से लाभ की जगह नुकसान अधिक हुआ है।

शिक्षकों को घोर कमी के रहते छात्रों ने इन नोट्स पर पूरी निर्भरता बना ली है। इससे वे लाइब्रेरी में टेकस्ट बुक पढ़ने से भी मुक्ति पा चुके हैं जिससे वर्तमान में लाइब्रेरी में पढ़ने शापद हो कोई छात्र जाता हो। क्लास रूम में वांछित पढाई न मिलने से ये नोट्स ही उनके लिए वरदान बन गए हैं। सरकार को भी इससे बड़ी राहत मिली है क्योंकि नई नियुक्तिओं से निजात पाने से सरकारी धन की बचत हो रही है। इस प्रकार क्लास रूम टीचिंग नगण्यभार है और आगे शापद कोलेजों की भी जरूरत नहीं रहे पढ़ने वालों के लिए भविष्य में केवल सरकार किसी रिजिस्ट्रेशन व्यवस्था को कायम कर सकती है जहाँ रजिस्ट्रेंट करा छात्र नेट से विषय पढकर सीधे ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। इस प्रकार कोलेजों की स्थापना अब उन पर अनासन्नपण खर्च से राजकीय कोष पर भार समाप्त प्राय हो जायेगा। समय बीतने पर स्थिति स्पष्ट होगी कि ऊँट किस कवचट बैठता है ?

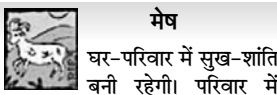
वर्तमान में विश्वविद्यालय में प्रबंध मंडल के बाद ऐकडेमिक कौंसिल, पोस्टेय्रजुएट कौंसिल, बोर्ड ऑफ़ स्टडीज और समिति ऑफ़ कोर्सेस शैक्षणिक पक्ष के लिए गठित होती है। अनुसन्धान और विस्तार शिक्षा व किसानों के खेतों तक

तकनीकी ट्रांसफर के लिए कृषि अनुसन्धान निदेशालय एवं उसके अंतर्गत बाहर के जिलों में अनुसन्धान केंद्र कार्यरत रहते हैं जिनका मुख् काम नवीन तकनीकों का विकास और पुरानी में संसोधन उसी वातावरण में किया जाकर परिणाम विस्तार निदेशालय को प्रेषित करने होते हैं जो उसे खेतों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं।

वैसे तो विश्वविद्यालय के प्रत्येक वैज्ञानिक या शोधार्थी को शिक्षा, शोध और विस्तार तीनों दायित्व निभाने होते हैं परन्तु दूरी, ट्रांसपोर्ट और मूल कार्य की उपेक्षा के रहते यह संभव नहीं हो पाता और शोध या विस्तार में लगा वैज्ञानिक दूसरी विषा में कार्य करने नहीं जा पाता। कृषि अनुसन्धान परिषद नई दिल्ली की कार्य शैली अपनाते हुए कृषि विश्व विद्यालय भी अनुरूपण करते है। लेकिन समुचित वैज्ञानिक संख्या न मिलने से इन केंद्रों पर भी शोध और विस्तार प्रभावित होता है। ये दोनों ही कार्य शोध और विस्तार हेड क्वार्टर पर उपलब्ध निदेशकों के अंगंतत कार्य करते है। एक समयवाधि पर दोनों ही निदेशालय अपने प्रगति आंकलन के लिए अपनी सम्बंधित समितिओं में सम्बाद कर किये गए कार्य का अनुमोदन कर रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेज देते हैं।

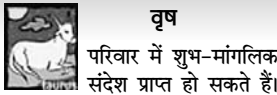
उपरोक्त वर्णित सभी प्रावधानों का जब आंकलन उद्देश्यों के परिपेक्ष में किया जाता है तो अनेक खामिआं उजागर होती हैं, जिनका निराकरण कभी होता नहीं और सतही लीपापोती कर इति श्री कर ली जाती है। हम उस पथ्यति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जहाँ संभवतः फिर किसी समिति की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक भी है उच्च शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप नगण्य ही रहे, तो उचित होगा। लेखक का मानना है कि अभी सम्बंधित छात्र और उनके अधिभावक देखें कि उनके द्वारा अपने बेटा बेटी की कृषिशिक्षा पर खर्च और कम से कम चार वर्ष का समय कही बर्बाद तो नहीं हो रहा है? छात्र हित के लिए यह आवश्यक है।

–प्रो. वीर बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति और डेरी एवं खाद्य विज्ञ, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्राौद्योगिकी विश्व विद्यालय , उदयपुर



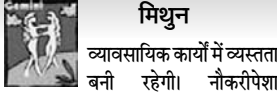
मेघ

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।



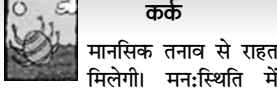
वृष

परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में परिवर्जनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



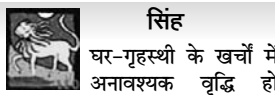
मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।



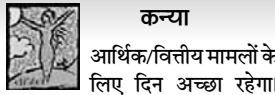
कर्क

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनासुचारु बनने लगेंगे।



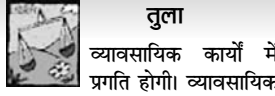
सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। मन में असंतोष बना रहेगा।



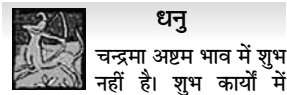
कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।



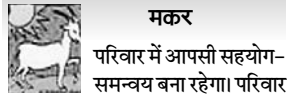
तुला

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



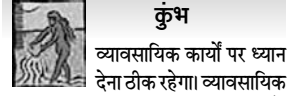
धनु

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज अनावश्यक धन खर्च होगा।



मकर

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों की शीघ्रता,सुगमता से बने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



मीन